झारखंड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी विभाग

पत्रांक-वि०प्रा०-/प्रो०-467/2001 राँची, दिना०-

प्रेषक,

श्री के० [illegible]
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड
राँची ।

द्वारा- वित्त विभाग ।

विषय- झारखंड कौंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के लिये पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभाग- विभागीय संकल्प संख्या-470 दिनांक- 25.04.01 के द्वारा झारखंड कौंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी का गठन किया गया है । कौंसिल गठन होने के पश्चात राज्य सरकार ने कौंसिल के लिये निम्नलिखित आवश्यकता आधारित पदों के सृजन पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है ।

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कार्यपालक निदेशक	1 (एक)	रु० 14300-18300/-
2.	तकनीकी पदाधिकारी	2 (दो)	रु० 8000-13500/-
3.	प्रशासी सह लेखा पदा०- (सचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग का)	1 (एक)	रु० 6500-10500/-
4.	सहायक (सचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग का)	1 (एक)	रु० 5500-9000/-
5.	लेखापाल-	1 (एक)	रु० 4000-6000/-
6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर-	2 (दो)	रु० 4000-6000/-
7.	स्टेनो सह टंकक-	2 (दो)	रु० 4000-6000/-
8.	रोकड़पाल सह-डिस्पैच लिपिक-	1 (एक)	रु० 4000-6000/-
9.	वाहन चालक-	1 (एक)	रु० 3050-4590/-
10.	अर्दलीपाल/कार्यालय चपरासी-	3 (तीन)	रु० 2550-3200/-
11.	चौकीदार/[illegible]	1 (एक)	रु० 2550-3200/-
		16 (सोलह)	

2. कौंसिल के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान देयता ——

[illegible] शीर्ष- 2203- तकनीकी शिक्षा- 796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-0[illegible] पूंजी भाग-0208- झारखंड [illegible] टेक्नोलोजी, रांची -[illegible] अनुदान के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

चूंकि [illegible] वित्तीय संस्थान के लिये आज से वित्तीय नियमावली [illegible] मानना जायेगा और जब तक वित्तीय नियमावली नहीं बनती है, तब तक राज्य के वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/

([illegible])

सरकार के सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी विभाग

झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक- रांची, दि0-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 63 रांची, दि0- 16.1.2002-

प्रतिलिपि- वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखंड, रांची/सचिव के [illegible]/निदेशक/[illegible], विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16-1-02

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी विभाग

पत्र सं0–वि0प्रा0–यो0–467/2001 – 68, रॉची, दिनांक : 16.01.2002

प्रेषक,

श्री जे0वी0 तुबिद,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड,
रॉची।

द्वारा :– वित्त विभाग

विषय :– झारखण्ड कॉसिल, ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलोजी के लिए पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय संकल्प संख्या–470, दिनांक 15.04.2001 के द्वारा झारखण्ड कॉसिल, ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलोजी का गठन किया गया है। कॉसिल गठन होने के पश्चात राज्य सरकार के कॉसिल के लिए निम्नलिखित आवश्यकता आधारित पदों के सृजन कर अपनी स्वीकृति प्रदान की है –

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	कार्यपालक निदेशक	1 (एक)	रू0 14300–18300/–
2	तकनीकी पदाधिकारी	2 (दो)	रू0 8000–13500/–
3	प्रशासी सह लेखा पदा0 (सचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग का)	1 (एक)	रू0 6500–10500/–
4	सहायक (सचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग का)	1 (एक)	रू0 5500–9000/–
5	लेखापाल	1 (एक)	रू0 4000–6000/–
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2 (दो)	रू0 4000–6000/–
7	स्टेनो सह टंकक	2 (दो)	रू0 4000–6000/–
8	रोकडपाल सह विपत्र लिपिक	1 (एक)	रू0 4000–6000/–
9	वाहन चालक	1 (एक)	रू0 3050–4590/–
10	आदेशपाल/कार्यालय पिउन	3 (तीन)	रू0 2550–3200/–
11	चौकीदार/दफ्तरी/ट्रेजरी सरकार	1 (एक)	रू0 2550–3200/–
		16 (सोलह)	

2. कॉसिल के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान देयता बजट शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–796–जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना–044–अनुसंधान– 0208–झारखण्ड कॉसिल, ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलोजी, रॉची–सहायता अनुदान के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कॉसिल के वित्तीय संचालन के लिए अलग से वित्तीय नियमावली बनाया जायेगा और जब तक वित्तीय नियमावली नहीं बनती है, जब तक राज्य वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी विभाग
झारखण्ड, रॉची

ज्ञापांक /रॉची, दिनांक

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी/सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – 68 /रॉची, दिनांक 16.01.2002

प्रतिलिपि – वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखंड, रॉची/सचिव के सचिव/निबंधक/बजट शाखा/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झाखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव